



हस्ताक्षरकर्ता/पक्षकार/मकान/दुकान मालिक // किरायेदारी इकरारनामा // 2 567851

प्रथम पक्षकार/मकान/दुकान मालिक - पुन्याश्रम निषाद
 (पति) - केतन निषाद
 (पत्नी) - फुलर शिवपुर

द्वितीय पक्षकार/किरायेदार - हेमलाल वर्मा
 (पति) - निमल प्रकाश वर्मा
 (पत्नी) - परसोनी लाल
जिन का लालबागार 87

उभय पक्षकारों के मध्य निम्नलिखित शर्तों के आधार पर आज दिनांक को किरायेदारी इकरारनामा निष्पादित किया जा रहा है, जिसमें मकान/दुकान मालिक को प्रथम पक्ष एवं किरायेदार को द्वितीय पक्ष से संबोधित किया जा रहा है-

1. यह कि, प्रथम पक्ष को हक, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि पर मकान/दुकान/ऑफिस/गोडाउन निमित्त है, जो कि पुलकान शिवपुर (उम) में स्थित है जो विगत 10 वर्षों/माह से किरायेदार आवासीय/व्यवसायिक प्रयोजन के लिये किराये से ले रहा है एवं पक्ष क्र. 01 मकान/दुकान स्वामी से उपरोक्त मकान/दुकान का केवल प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार को किराये पर देना तथा अपना अगित्यक प्रदान कर इकरारनामा/किरायेनामा पत्र निष्पादित किया है।

2. यह कि, उपरोक्त मकान/दुकान को किरायेदारी दिनांक 24/12/2012 से प्रारंभ होकर 31/12/2012 तक 11 माह के लिये किराये पर दिया गया है।

3. यह कि, उपरोक्त मकान/दुकान को प्रतिमाह किराया राशि 3500/- अर्थात् 3500/- रुपये दिया जायेगा।

4. उक्त मकान/दुकान को प्रतिमाह किराया राशि 3500/- रुपये दिया जायेगा।

5. उक्त मकान/दुकान को प्रतिमाह किराया राशि 3500/- रुपये दिया जायेगा।

6. उक्त मकान/दुकान को प्रतिमाह किराया राशि 3500/- रुपये दिया जायेगा।

Samsung Quad Camera
Shot with my Galaxy A12

//2//

- यह कि, मकान स्वामी द्वारा किरायाशुदा मकान में - पंखा द्युब लाईट बल्ब व अन्य वस्तु भी सम्मिलित है।
- यह कि, द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रथम पक्षकार को प्रत्येक माह की किराया राशि दिनांक 01 से 5 तारीख तक निश्चित रूप से दिया जायेगा।
- यह कि, उक्त किरायाशुदा मकान/दुकान का बिजली बिल एवं पानी किरायेदार द्वारा अलग से प्रदान किया जायेगा, जो किराया राशि से अतिरिक्त होगा एवं किरायादार द्वारा बिजली मीटर से छेड़ छाड़ करता है तो स्वयं किरायेदार जवाबदार रहेगा।
- यह कि उक्त किरायाशुदा मकान/दुकान का जलकर किरायेदार द्वारा वहन किया जायेगा एवं नल की टूट फूट को जिम्मेदारी किरायेदार की होगी।
- यह कि उक्त किरायाशुदा मकान/दुकान केवल आवासीय/व्यवसायिक उपयोग हेतु दिया जाता रहा है।
- यह कि, उक्त किरायाशुदा मकान/दुकान में किसी भी प्रकार का तोड़फोड़ नवनिर्माण/एडोबेदल नहीं करेगा तथा मकान मालिक/दुकान मालिक को किरायेदार कभी भी चुनौती नहीं देगा। एवं किरायेदारी की शर्तों का उल्लंघन करने पर यह किरायेदारी स्वयं निरस्त मानी जायेगी।
- यह कि, उक्त किरायाशुदा मकान/दुकान पर किसी अन्य को उप किरायेदारी पर नहीं आयेगा।
- यह कि, उक्त मकान/दुकान की आवश्यकता यदि बीच में प्रथम पक्षकार को जरूरत पड़ेगी तो वह 01 माह की सूचना देकर किरायाशुदा मकान/दुकान का रिक्त आधिपत्य प्रदान करेगा तथा इसी प्रकार उक्त किरायाशुदा मकान/दुकान को बीच में द्वितीय पक्ष मकान/दुकान को शक्तिपूर्वक रिक्त आधिपत्य करेगा एवं इसी प्रकार उक्त किरायाशुदा मकान/दुकान को बीच में द्वितीय पक्ष को जरूरत नहीं पड़ने पर मकान/दुकान को शक्तिपूर्वक रिक्त आधिपत्य प्रथम पक्ष को शौच देगा। एवं अनैतिक कृत्य थापकर एक व्यवसाय नहीं करेगा।
- यह कि, किरायाशुदा मकान/दुकान में किसी प्रकार का अवैधानिक कृत्य द्वितीय पक्षकार द्वारा नहीं किया जायेगा। एवं मालिक स्वामी को यह अधिकार होगा कि यह किरायेशुदा मकान का कभी भी निरीक्षण कर सकता है।
- यह कि, किरायेदार/मकान/दुकान मालिक को स्वयं को कभी भी चुनौती नहीं देगा यदि ऐसा करता है तो तत्काल प्रभाव से किरायेदारी समाप्त समझी जायेगी।
- यह कि, यदि किरायेदार 11 माह के पश्चात् पुनः उक्त मकान/दुकान में किरायेदारी व्यवसाय हेतु नवीनीकरण करना चाहेगा तो% की वृद्धि के साथ उक्त मकान/दुकान इकरारनामा निष्पादन किया जायेगा।
- यह कि, उक्त मकान/दुकान को प्रथम पक्ष को संपूर्ण अधिकार होगा कि उक्त पक्ष पर कनेक्शन, बैंक एकाउंट खुलवाने, इण्टरनेट कनेक्शन, गैर कनेक्शन, सैनल कनेक्शन, मुगारस्ता, फुड लायसेंस एवं ड्रायविंग लाईसेंस बनवाने एवं जी.एस.टी. के संबंध में उक्त मकान/दुकान स्वयं करे, भुगतान की जिम्मेदारी पक्षकार क्र. 02 की होगी एवं व्यवहार एवं एड्रेस पुष्टि के रूप में किरायेदार उक्त पक्ष का उपयोग कर सकता है।

अतः आज दिनांक 24/12/2012 को किराया इकरारनामा को पक्षकार सुनकर, सही होना पाकर स्वस्थ मनोचित से दो गैरहाजिर के समक्ष अपना अपना हस्ताक्षर या अंगुठा लगाकर निष्पादित किया, ताकि समद रहें वक्त जरूरत पर काम आवे।

शिवपुर उम,
 किरायाशुदा मकान/दुकान मालिक
 1 हस्ताक्षर

हस्ताक्षर पक्ष क्र. 01/मकान/दुकान मालिक

ATTESTED
 H. S. CHAWLA
 Notary/Advocate
 HASTNAPUR
 हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष/किरायेदार